

211


231

4  
11-5-12

माननीय राजस्व मण्डल ग्वा लियर खण्डपोठ रोवा, जिला रोवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2012

R 1591-112



रामलालवन सिंह तनय रामसजीवन सिंह निवासी ग्राम हरदुआ, थाना व तहसील सेमरिया, जिला रोवा म०प्र० ----- आ वैदक/ निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- राजेश गौतम तनय जागेश्वर गौतम निवासीग्राम हरदुआ, थाना व तहसील सिरमाँर, जिला रोवा म०प्र०

2- इन्द्राणी वैवा पत्नी श्यामलाल ब्रूमि० निवासीग्राम हरदुआ, थाना सेमरिया, जिलारोवाम०प्र० ----- अना वैदकगण/ गैर निगराकारण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 31-3-2012

जो न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीयअधिकारी महोदय दौत्र सिरमाँर सब तहो सेमरिया, जिला रोवा के प्रकरण कु० 43ए/०६/अपील/०८-०९ मे पारित व प्रसारित किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता सन 1959ईस्वी।

मान्यवर,

प्रकरण के सूत्र तथ्य इसप्रकार है:-

इस प्रकरणमे यह हैकि निगरानीकर्ता इन्द्राणी से

भूमि खसरा नं० 1711 रकबा ०-41ए० ए० 1,20000 नकद देकर दिनचक्र

11/5/12  
9-5-12

वका

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-1591-II/12 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.1591-II/12

जिला-रीवा

रामखेलावन सिंह/राजेश गौतम

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	